Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 2023/ बअनवान समरथाराम वगैरा बनाम सरकार वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13-08-24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण श्री पुर्णेश बोहरा उपस्थित। प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। उपस्थित वकील वादी श्री पुर्णेश बोहरा ने बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा के खसरा नंबर 2561 रकबा 0.96 हैक्टर पर वादीगण जागीर पुर्नग्रहण के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है। बन्दोबस्त पुर्व उक्त भूमि के खसरा नंबर 2332 तथा 2289 रहें है। जो भूमि बन्दोबस्त पुर्व के रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज नही थी। बन्दोबस्त पश्चात के रिकार्ड में भूमि को गै.मु. पहाड अंकित कर वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया परंतु संपूर्ण रकबा गै.मु. पहाड मौके पर नही है क्योंकि खसरा नंबर 2561 की भूमि कृषि तथा आवासीय परियोजना वादीगण द्वारा 60 वर्षो से भी अधिक समय से उपयोग–उपभोग में ली जा रही है। परंतु भूमि रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज होने से वन अधिकारी वादीगण को पूश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। वादीगण प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होने से वादीगण को वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा के हाल खसरा नं 2561 रकबा 0.96 हैक्टर का खातेदार घोषित किये जाने के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने की दलील दी। उपस्थित प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने वकील वादी की दलीलो का खण्डन कर दलील दी गई की यदि वादीगण भू–प्रबन्ध पूर्व के समय से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होते तो उन्हें धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते अब चुंकि वादग्रस्त भूमि बेडा–2 के हाल खसरा नंबर 2561 रकबा 130.50 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है जिसप र वादीगण जब भी बतौर अतिकमी काबिज होते है तो धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है तथा वन अधिकारियों द्वारा भी नोटिस दिये जाते है जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी नही रहते है। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर गनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा–2 के हाल खसरा नबर 2561 कुल रकबा 130.50 हैक्टर राजकीय खाते में दर्ज है। वादीगण द्वारा जागीर रिजम्पशन के समय से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने के आधार परखातेदारी का अनुतोष चाहा है परंतु वादपत्र में उल्लेखित 60 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त होने के प्रमाण स्वरूप कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नही किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अद्यतन निर्देशो के अनुसार प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातदेारी दिये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। वादीगण ने उक्त वाद में सरकार के विरूद्ध मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है जो संभव नही है। वादी वादग्रस्त भूमि पर अतिकमी है। वादी भूमि आवंटन हेतू आवंटन कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। लिहाजा वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा–2 के हाल खसरा नंबर 2561 रकबा 0.96 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 आरटीए 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों। उपखण्ड अधिकारी बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलेक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2007/00014

वादी :

1. समरथाराम पुत्र मौनिंगजी,
2. कसना पुत्र मौनिंगजी, जाति रेबारी निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाली

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2023/

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व प्रतिवादी पैरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम बेडा–2 के हाल खसरा नंबर 2561 रकबा 0.96 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 आरटीए 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-08-24को जारी किया गया।

(श्री दिनेश विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन

Scanned with CamScanner